अवकाश नियम
(Leave Rules)
(नियम 501 से 557 – IREC-I)

रेल कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के अवकाश देय है जो कि रेल सेवा (उदारीकृत अवकाश) नियम 1949 द्वारा शासित होते हैः

किन पर लागू होगेंः ये नियम लागू होगें। (नियम 502)

i. 01.02.1949 को या उसके पश्चात नियुक्त होने वाले रेल कर्मचारियों पर
ii. 01.02.1949 से पूर्व नियुक्त रेल कर्मचारी जिन्होंने इन नियमों से शासित होना चुना
iii. अन्य कर्मचारी जिन्हें विशेष आदेश द्वारा नियमों के अन्तर्गत लाया गया।

अवकाश का अधिकारी : (नियम 503)

अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता। ऐसा अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी मनाही या प्रतिसंहरण (Refused or Revoked) किया जा सकता है।

जमा छुट्टियों पर बर्खास्तगी, हटाने या त्याग पत्र का प्रभाव : (नियम 504)

नियम 541 और इस नियम में दिए गए निर्देशों के अलावा जमा छुट्टियों पर उस रेल कर्मचारी का दावा, जिसे बर्खास्त या हटा दिया गया (Dismissed or Removed)या जिसने रेल सेवा से त्याग पत्र दे दिया है, ऐसा होने / करने की तिथि से समाप्त हो जायेगा।

हड़ताल के कारण सेवा में व्यवधान : हड़ताल को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता हैः–

i. वैद्य हड़ताल अर्थात् वे जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधान के अनुसार की गई है, तथा
ii. अवैधानिक हड़ताल अर्थात् वे जिनमें हड़ताल पूर्व की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया है

उपर्युक्त (i) के अन्तर्गत आने वाली हड़ताल सेवा में व्यवधान नहीं होगा और सम्बन्धित रेल प्रशासन, रेलवे बोर्ड को सन्दर्भित किये बगैर अनुपस्थिति अवधि को भत्तों सहित या भत्तों के बिना, जैसा भी मामला हो, मान सकता है।

हालांकि अवैधानिक हड़तालों के मामलें में सम्बन्धित कर्मचारियों की अनुपस्थिति सेवा में व्यवधान के समान होगी और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना इसे नियमित (Condone) नहीं किया जा सकता।

एक प्रकार के अवकाश को दूसरे अवकाश में बदलना : (नियम 505)

कर्मचारी द्वारा आवेदित अवकाश को सदा दूसरे प्रकार के अवकाश में नहीं बदला जा सकेगा। कर्मचारी के कार्य पर लौटने की तिथि से 30 दिनों की अवधि तक कर्मचारी के लिखित प्रार्थना–पत्र पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। (RBE 29/98)

अवकाश का आरम्भ और समाप्ति : (नियम 506)

अवकाश सामान्यतः उस दिन से आरम्भ होता है जिस दिन कार्यभार का स्थानान्तरण होता है और कार्यभार फिर से ग्रहण करने के दिन से पिछले दिन समाप्त होता है।

विभिन्न प्रकार के अवकाशों को मिलाना : (नियम 507)

अवकाश नियमों में अन्यथा सिद्ध होने के अलावा किसी भी प्रकार का अवकाश किसी अन्य अवकाश के साथ स्वीकृत किया जा सकता है।

राजपत्रित अवकाश को छुट्टी के साथ मिलाना : (नियम 508)

जब रेल कर्मचारी के अवकाश आरम्भ होने के दिन से पूर्व का दिन या अवकाश समाप्ति के पश्चात का दिन राजपत्रित अवकाश है या राजपत्रित अवकाश की एक श्रृंखला है, तो कर्मचारी ऐसे राजपत्रित अवकाश के प्रारम्भ होने से पहले दिन की समाप्ति पर स्टेशन छोड़ सकता है तथा राजपत्रित अवकाश के अगले दिन लौट सकता है।

अवकाश के दौरान रोजगार : (नियम 509)

अवकाश के दौरान रेल कर्मचारी कोई सेवा या रोजगार निम्न की पूर्व स्वीकृति के बिना स्वीकार नहीं कर सकताः–

i. राष्ट्रपति, यदि प्रस्तावित सेवा या रोजगार भारत के बाहर है, और
ii. यदि भारत में है, तो उसे नियुक्त करने की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी

यह अनिवार्यता साक्षरता कार्य या परिवीक्षक के रूप में सेवा या इसी प्रकार के कोई कार्य पर लागू नहीं होगी और ना ही यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से स्वीकार की गई विदेश सेवा पर लागू होगी।

एक बार में अधिकतम लगातार अवकाश : (नियम 510)

यदि राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत नहीं करते हैं, तो किसी भी रेल कर्मचारी को पाँच वर्ष से अधिक का लगातार अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

[RBd's LNo E(G)2010/LE2-7 dt.01.10.13 (P.No.261 of RBO 2013)]

अवकाश हेतु प्रार्थना–पत्र : (नियम 511)

सक्षम प्राधिकारी जो अवकाश स्वीकृत या बढ़ा सकता है, को नियत प्रारूप में अवकाश या अवकाश बढ़ाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

अवकाश की स्वीकृति – दावों की वरीयता : ऐसे मामले . . . . . .

i. ऐसे कर्मचारी जिन्हें समय विशेष पर मुक्त किया जा सकता है,
ii. विभिन्न आवेदकों के खाते में बकाया अवकाश
iii. पिछले अवकाश से लौटने के पश्चात आवेदक द्वारा दी गई सेवा की अवधि और प्रकृति
iv. यह तथ्य कि ऐसे किसी आवेदक को पिछले अवकाश से अनिवार्य रूप से बुलाया गया था
v. यह तथ्य कि ऐसे किसी आवेदक को जन हित में अवकाश हेतु मना किया जा चुका है

अवकाश लेखा : (नियम 513)

समूह ''क'' और ''ख'' रेल सेवकों के मामले में लेखा अधिकारी द्वारा प्रत्येक रेल सेवक का अवकाश लेखा नियत प्रारूप में रखा जायेगा तथा समूह ''ग'' और ''घ'' के मामलें में कार्यालय प्रधान या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यह लेखा रखा जायेगा।

अवकाश के प्रकार का सत्यापन : (नियम 514)

रेल कर्मचारी को देय अवकाशों की संख्या वह है जो कि अवकाश लेखे में उसके नाम शेष है। रेल कर्मचारी को तब तक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता, जब तक अवकाश लेख को रखने वाले प्राधिकारी से अवकाश की देयता (Admissibility) के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त नहीं कर ली गई हो।

अवकाश कब स्वीकृत नहीं किया जाये : (नियम 515)

रेल कर्मचारी जिसे दण्ड देने वाले सक्षम प्राधिकारी ने बर्खास्त, हटाने या रेल सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत करने का निर्णय कर लिया है, उसे अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

अवकाश समाप्ति से पूर्व ड्यूटी पर वापस बुलाना : (नियम 516)

रेल कर्मचारी को अवकाश समाप्त होने से पूर्व कार्य पर वापिस बुलाये जाने की स्थिति में ऐसे बुलावे को सभी मामलों में अनिवार्य समझा जायेगा और रेल कर्मचारी निम्न का हकदार होगाः–

क. यदि अवकाश जिससे उसे वापस बुलाया गया है, वह भारत में है तो उसे बुलाये गये स्टेशन से रवाना होने की तिथि से उसे ड्यूटी पर माना जायेगा और वह निम्न को पाने का हकदार होगाः–
   i. इस आधार पर यात्रा के लिये नियमों के अधीन यात्रा भत्ता, और
   ii. जब तक वह पदभार ग्रहण करें तब तक छुट्टी छुट्टी वेतन, उसी दर से जिस दर पर वह पहले ले रहा था, किन्तु अब ड्यूटी पर वापस बुलाने के दौरान लेगा

ख. यदि अवकाश जिससे उसे वापस बुलाया गया है, वह भारत के बाहर है तो समुन्द्र यात्रा से भारत आने में लगे समय की गणना छुट्टियों की गणना के उद्देश्य के लिये की जायेगी। तथा कर्मचारी निम्न का हकदार होगाः–
   i. समुन्द्र यात्रा से भारत आने तथा भारत में उतरने के बाद पद पर तैनात होने की तिथि तक उसी दर से छुट्टी वेतन का हकदार होगा, जिस दर से वह पहले ले रहा था, किन्तु अब ड्यूटी के लिये वापस बुलाया गया हो।
   ii. भारत के लिये निःशुल्क यात्रा व्यय
   iii. भारत से उसकी यात्रा व्यय की धनवापसी यदि उसे वापस भारत बुलाने की तिथि तक उसने अपनी छुट्टियों की आधी अवधि या तीन महिने पूर्ण नहीं किये हों, जो भी पहले हो।
   iv. भारत में उतरने के स्थान से कर्त्तव्य के स्थान तक यात्रा के लिये, उस समय लागू नियमों के अधीन ड्यूटी पास या यात्रा भत्ता देय होगा।

छुट्टी से वापस ड्यूटी पर लौटना : (नियम 517)

i. कोई रेल सेवक उसे स्वीकृत छुट्टी अवधि के पूर्ण होने से पहले ड्यूटी पर तब तक नहीं लौटेगा, जब तक

कि उसे छुट्टी स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई हो।

ii. उपनियम (i) में ऐसा कुछ नहीं होते हुये भी ऐसा रेल सेवक जो सेवानिवृति से पूर्व छुट्टी पर हो, उसे उस पद पर नियुक्त करने वाल प्राधिकारी की सहमति से जिस छुट्टी पर वह सेवानिवृति से पूर्व गया हो उसे ड्यूटी पर आने से अलग रखा /रोका जायेगा।

iii. रेल सेवक जिसने चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर छुट्टी ली हो, उसे ड्यूटी पर तब तक नहीं लिया जायेगा जब तक कि वह उचित चिकित्सा प्राधिकारी से अपनी फिटनेस का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता हो।

iv. कोई रेल सेवक छुट्टी से वापस आने पर उस पद पर जिस पर वह छुट्टी पर जाने से पूर्व तैनात था उस पर बिना प्रभावी विशेष आदेशों के पदग्रहण करने का हकदार नहीं होगा।

v. इस प्रकार का रेल सेवक पहले उसे छुट्टी स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा यदि उसे स्वीकृत छुट्टी में कोई विशेष आदेश हो तो वह अगले आदेशों की प्रतीक्षा करेगा।

छुट्टी समाप्त होने के बाद अनुपस्थिति : [नियम 518 (RBE 79/11)

i. जब तक छुट्टी स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी छुट्टी विस्तार (Extension) नहीं देता है, तब तक कोई रेल सेवक जो छुट्टी समाप्ति पर अनुपस्थित रहता है तो वह इस अनुपस्थिति अवधि के छुट्टी वेतन का हकदार नहीं होगा तथा इस अवधि को उसके छुट्टी लेखा में से उस सीमा तक जितनी खाते में बकाया हो, इस प्रकार नामे डाली जायेगी मानो वह अर्द्धवेतन छुट्टी हो। ऐसी शोध्य छुट्टी से आाधिक्य की अवधि असाधारण छुट्टी समझी जायेगी।

ii. छुट्टी समाप्त होने पर जानबुझकर ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले रेल सेवक के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

चिकित्सा प्रमाण–पत्र पर छुट्टी की स्वीकृति – सामान्य नियम : (नियम 519)

i. चिकित्सा अधिकारी ऐसे किसी भी मामले में जिसमें उसे लगे कि सम्बन्धित रेल कर्मचारी अपनी ड्यूटी ग्रहण करने के योग्य /फिट नहीं हो सकता है, छुट्टी की अनुशंसा नहीं करेगें। ऐसे मामलों में यह धारणा कि रेल सेवक रेल सेवा के लिये स्थायी रूप से अयोग्य है, इसे चिकित्सा प्रमाण–पत्र में दर्ज करना चाहिये। समूह ''ए'' और ''बी'' के रेल सेवकों को खराब स्वास्थ्य के आधार पर चिकित्सा बोर्ड के प्रमाण–पत्र के अलावा सेवा से पृथक नहीं किया जायें।

   चिकित्सा अधिकारी का प्रत्येक प्रमाण–पत्र जिसमें किसी रेल सेवक को छुट्टी स्वीकृति की अनुशंसा की गई है, उसमें यह परन्तुक जोड़ा जाये कि इस अनुशंसा में किसी रेल सेवक को उस पर लागू करार या शर्तों के अधीन किसी ऐसी छुट्टी के लिये साक्ष्य /दावा नहीं किया जा सकता, जिसका वह हकदार नहीं है।

समूह ए और बी अधिकारियों को चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर छुट्टी की स्वीकृतिः (नियम 520)

समूह ''ए'' और ''बी'' के अधिकारियों को चिकित्सा प्रमाण–पत्र पर छुट्टी स्वीकृति /छुट्टी विस्तार करने से पूर्व उसे निर्धारित फार्म में एक प्रमाण–पत्र प्राप्त करना चाहिये।

समूह सी और डी के रेल कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण–पत्र पर छुट्टी की स्वीकृति : (नियम 521)

समूह ''सी'' और ''डी'' के किसी रेल सेवक द्वारा चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर छुट्टी के लिये दिये गये आवेदन–पत्र के साथ निर्धारित फार्म में रेलवे चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा, जिसमें जहाँ तक सम्भव हो, बीमारी की प्रकृति और अवधि का स्पष्ट वर्णन हो।

जब रेल कर्मचारी 03 दिन तक या 03 दिन की अवधि सहित चिकित्सा छुट्टी पर रहने के पश्चात मेडिकल प्रेक्टिशनर से फिट लेकर वापस ड्यूटी पर उपस्थित होता है, तो उसे रेलवे चिकित्सा अधिकारी से जारी फिटनेस प्रमाण–पत्र लिये बिना ड्यूटी पर इस शर्त के साथ लिया जा सकता है कि, कर्मचारी यह लिखित घोषणा करें कि इस अवधि में उसे आँखों की कोई बीमारी नहीं थी।

अन्य मामलें ये यदि बीमारी की अवधि 03 दिन से अधिक हो तो कर्मचारी को प्राईवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण–पत्र पत्र प्रस्तुत करने के 24 घण्टे के अन्दर ड्यूटी पर इस शर्त पर लिया जा सकता है, कि उसे सक्षम रेलवे चिकित्सा अधिकारी द्वारा फिट पाया गया हो। यदि सक्षम रेलवे चिकित्सा अधिकारी से फिटनेस प्रमाण–पत्र लेने में देरी होती है तो कर्मचारी को उसके द्वारा प्राईवेट चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के 24 घण्टे के भीतर ही ड्यूटी पर मान लिया जाये। [RBd's LNo. E(G)78 L.E. 1-7 dt. 18.01.1979]

उपर्युक्त का दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य से रेल प्रशासन द्वारा विशेष अवधि (जैसे गर्मी में 01–04 से 30–6 तक तथा दीपावली आदि के दौरान 1–10 से 15–11 तक तथा जब किसी विभाग के कर्मचारियों द्वारा अधिक संख्या में एक साथ बीमारी (सिक) पर जाने की सम्भावना हो), तो समूह ''सी'' व ''डी'' के रेल कर्मचारियों को देय

रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टीशनर द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र को स्वीकार करने की सुविधा को वापस लिया जा सकता है। [RBd's LNo. E(G)72 L.E. 1-11 dt. 28.09.1972]

ऐसे रेल सेवक को छुट्टी जिसके फिट नहीं होने के कारण ड्यूटी पर लौटने की सम्भावना नहीं हो: (नियम 522)

जब कोई चिकित्सा प्राधिकारी यह रिपोर्ट करें कि रेल सेवक के कभी भी ड्यूटी पर लौटने की कोई सम्भावना नहीं हो, तो ऐसे रेल कर्मचारी को छुट्टी आवश्यक रूप से अस्वीकृत नहीं की जायेगी, किन्तु यह निर्धारित नियम व शर्तों के अधीन होगी।

औसत वेतन पर छुट्टी : (नियम 523)

रेल सेवक एक कलैण्डर वर्ष में औसत वेतन पर 30 दिन की छुट्टियों का हकदार होगा तथा ये पूर्व में ही जमा की जायेगी। ये प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में प्रत्येक 15 दिन की दो किश्तों अर्थात् पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को जमा की जायेगी।

दिनांक 01.07.1997 से लागू नियम के अनुसार अधिकतम 300 दिन की छुट्टियों का संचयन कर्मचारी के खाते में हो सकता है। (RBE 155 /97 & 157/97)

रेल कर्मचारियों के सम्बन्ध में दिनांक 01.07.1997 से प्रभावी नियम के अनुसार पहली जनवरी /पहली जुलाई को जमा की जाने वाली औसत वेतन छुट्टियों को जमा (जोड़ने) के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी:–

i. ऐसे रेल कर्मचारियों के मामले में जिनकी औसत वेतन छुट्टी 01 जनवरी /01 जुलाई को खाते में 285 दिन या कम हो तो उसके खाते में 15 दिन तथा सेवानिवृत्त हो रहे या अगले आधे वर्ष की अवधि में रेल सेवा छोड़ रहे रेल कर्मचारियों के खाते में, इसके समानुपात में कम औसत वेतन छुट्टियों को जोड़ दिया जाना चाहिये।

ii. ऐसे मामले में जब पहली जनवरी /जुलाई को औसत वेतन छुट्टी 300 दिन या कम किन्तु 285 दिन से अधिक हो, 15 दिन की औसत वेतन छुट्टी को जोड़कर अलग रखा जायेगा तथा रेल कर्मचारी द्वारा अगले छः माह के दौरान छुट्टी लेने की अवस्था में पहले अलग से रखी /जोड़े गये औसत वेतन अवकाश में से समायोजित किया जायेगा तथा इसमें से बचे शेष अवकाश को औसत वेतन छुट्टी में जोड़ दिया जायेगाजो अधिकतम 300 दिन की सीमा की शर्त के अधीन होगी।

[RBd's LNo. E (P&A) Pt. 2000 /CPC /LE-3 dt. 01.08.2000)]

औसत वेतन छुट्टी की गणना : (नियम 524)

प्रत्येक पूर्ण माह पर 2½ दिन की दर से जोड़ी जायेगी। एक बार में अधिकतम 180 दिन की औसत वेतन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। यदि कर्मचारी पहले आधे वर्ष के दौरान ड्यूटी से EOL /LWOP /Absent है तो अगले आधे वर्ष की जमा को इस Absent /EOL की अवधि के 1/10 भाग की दर से कम कर दिया जायेगा। जो एक आधे वर्ष के दौरान अधिकतम 15 दिन तक हो सकता है।

औसत वेतन छुट्टी जमा करने के दौरान दिनों के अन्तर को अगले नजदीकी दिनों में मिला लिया जाये।

(RBE 24 /97)

उत्तर पूर्व तटीय रेलवे पर कार्यरत रेल सेवकों को रियायतः [RBd's LNo. E (G58A.A.-1 dt. 15.02.1958]

एक कलेण्डर वर्ष में जब कर्मचारी औसत वेतन छुट्टी पर कोलकाता, लखनऊ या पटना को या वाया होकर जाता है, तो उन्हें निम्नानुसार अतिरिक्त छुट्टी स्वीकृत की जायेगी जिन्हें उनके छुट्टी खाते में से नहीं घटाया जायेगा:–

i कर्मचारी का मुख्यालय सिलीगुड़ी स्टेशन या सिलीगुड़ी से पश्चिम में किसी स्टेशन पर हो –(02 दिन)

ii कर्मचारी का मुख्यालय सिलीगुड़ी के अन्तिम छोर में किन्तु ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे पर हो, जिसमें दार्जिलिंग–हिमालय सेक्शन तथा पाण्डु (गोवाहटी) में होने पर –(04 दिन)

iii कर्मचारी का मुख्यालय पाण्डु के पूर्व में किसी स्टेशन पर हो तो –(06 दिन)

विद्यालय कर्मचारियों को मिलने वाली औसत वेतन छुट्टी : (नियम 525 व RBE 57/11, 100/15)

(1) क. किसी रेलवे स्कूल में कार्यरत रेल कर्मचारी जैसे अध्यापक, प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक, पुस्तकालयध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक अथवा पानी पिलाने वाला किसी भी वर्ष, जिसमें वह पूरी छुट्टियाँ लेता है, में निष्पादित की गई ड्यूटी के सम्बन्ध में किसी औसत वेतन छुट्टी के लिये हकदार नहीं होगा।

ख. किसी भी वर्ष के सम्बन्ध में, जिसमें कोई रेल कर्मचारी छुट्टी के एक भाग का उपयोग कर लेता है, वह 30 दिन के ऐसे अनुपात में औसत वेतन छुट्टी पाने का हकदार होगा क्योंकि न ली गई छुट्टी की संख्या पूरी छुट्टियों से सम्बन्धित होती हैं।

बशर्ते कि किसी भी रेल कर्मचारी जिसे अपनी सेवा के पहले वर्ष में स्थायी या अर्धस्थायी रूप में नियुक्त नहीं किया गया है, को इस प्रकार की छुट्टी अनुमेय नहीं होगी।

ग. यदि किसी वर्ष के दौरान, रेल कर्मचारी कोई छुट्टी नहीं लेता है, तो उसे नियम 523 के तहत उस वर्ष के लिये औसत वेतन छुट्टी अनुमेय होगी।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए ''वर्ष'' शब्द का आशय कैलेण्डर वर्ष के अर्थ के रूप में नहीं होगा जिसमें ड्यूटी निष्पादित की जाती है अपितु इसका आशय किसी रेल स्कूल में वास्तविक ड्यूटी के 12 महीनों से होगा।

टिप्पणी 1 : जब तक कि उच्च प्राधिकारी के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसी छुट्टी के एक भाग को छोड़ देना अपेक्षित न हो तब तक छुट्टी के लिये पात्र रेल कर्मचारी को छुट्टी या छुट्टी के एक भाग का उपयोग कर लिया समझा जायेगा।

बशर्ते कि यदि ऐसे आदेश द्वारा उसे पन्द्रह दिन से अधिक छुट्टी लेने से रोका गया हो तो यह समझा जायेगा कि उसने छुट्टी के किसी भाग उपयोग नहीं किया है।

टिप्पणी 2 : जब किसी रेलवे स्कूल में कार्यरत कोई रेल कर्मचारी ड्यूटी का वर्ष पूरा करने से पहले ही छुट्टी पर चला जाता है तो उसे अनुमेय औसत वेतन अवकाश की गणना छुट्टी पर जाने से पहले की गई वास्तविक ड्यूटी की अवधि में आने वाली छुट्टियों के सन्दर्भ में नहीं की जायेगी वरन् उन छुट्टियों के सन्दर्भ में की जायेगी जो उस तारीख से शुरू होने वाले वर्ष के दौरान आती है जिस तारीख को उसने पिछले वर्ष की ड्यूटी पूरी कर ली है।

(2) छुट्टियाँ, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाली किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ या क्रम में ली जा सकती है।

बशर्ते कि औसत वेतन अवकाश चाहे किसी अन्य छुट्टी के साथ या उसके क्रम में लिया जाये अथवा नहीं परन्तु छुट्टी की कुल अवधि और इसके साथ लिये गये औसत वेतन अवकाश नियम 523 के तहत रेल कर्मचारी को एक समय में देय और अनुमेय औसत वेतन अवकाश के कुल योग से अधिक नहीं होगा।

(3) पिछले छः महीने समाप्त होने पर इस नियम के तहत रेल कर्मचारी के नाम में जमा औसत वेतन अवकाश इस शर्त के अध्यधीन अगले छः महीने में आगे ले जाया जाये कि इस प्रकार से आगे ले जाई गई छुट्टी जमा छः महीने में दी गई छुट्टियाँ 300 दिनों की अधिकतम सीमा से अधिक न हो।

टिप्पणी : नियम 1110 के उपबन्धों के अनुसार रेलवे स्कूलों में कार्यरत व्यक्तियों को उपयोग न की गयी कार्यग्रहण अवधि को छुट्टी लेखा में जमा करने की सुविधा प्राप्त होगी।

स्कूलों में कार्यरत रेल कर्मचारियों द्वारा छुट्टियाँ /छुट्टियों (Vacation) का एक भाग /स्काउट गाइड गतिविधियों में भाग लेने के कारण –उपयोग व लेने के कारण उनको देय छुट्टियों के एवज में वे नियमों के अधीन दी गई शर्तों के अनुसार औसत वेतन छुट्टी के हकदार होगें। (RBE 146 /06)

रेलवे बोर्ड ने अपने पूर्व पत्र संख्या ई/(पीएण्डए)1–81/सीपीसी/एल.ई.–8 दिनांक 11.12.1981 का अधिक्रमण करते हुये यह निर्णय लिया है कि, स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों, प्रिन्सिपल, प्रधानाध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों, लेबोरेटरी सहायकों एवं पानी वालों को वर्ष के दौरान औसत वेतन पर देय 10 दिन की छुट्टियों के बदले 20 दिन की अर्द्ध वेतन छुट्टी की सुविधा को अन्य रेल कर्मचारियों के सममूल्य पर उदारीकृत छुट्टी नियम 1949 के नियम 526 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार पुनः चालू कर दिया जाये। ये आदेश 01.09.2008 से प्रभावी होगें। (RBE 46 /09 & 57/11)

आर.बी.ई. संख्या 46 /09 के क्रम में रेलवे बोर्ड ने आगे स्पष्ट किया है कि : (RBE 175 /09)

i. रेल कर्मचारियों को देय 20 दिन की अर्द्ध औसत वेतन छुट्टी की सुविधा उन्हें पहले से दी जा रही 10 दिन की औसत वेतन छुट्टी के बदले दी जायेगी। इसलिये 01.09.2008 से 31.12.2008 तक की अवधि की अर्द्ध औसत वेतन की गणना सेवा के प्रत्येक पूर्व माह के लिये 5 /3 की दर से की जायेगी, जिसे अगले 07 दिनों में समाहित (Round Off) कर जमा किया जायेगा। 01.01.2009 से आगे 10 दिन की अर्द्ध औसत वेतन छुट्टी 01 जनवरी और 01 जुलाई को (अग्रिम) पहले से ही प्रत्येक वर्ष जमा किया जायेगा जैसा कि अन्य श्रेणी के रेल कर्मचारियों के मामले में होता है। 31.08.2008 तक की खण्डित अवधि (Broken Period) के लिये औसत वेतन छुट्टी को भी सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिये 5 /6 की दर से समानुपात (Proportionate) में अनुमति दी जायेगी।

ii. 01.09.2008 को रेलवे स्कूल कर्मचारियों के खाते में जमा औसत वेतन छुट्टी उनके छुट्टी खाते में जमा रखी जायेगी तथा इन्हें औसत वेतन छुट्टी के रूप में स्वीकृत करने के साथ ही अन्य शर्तें पूरी करने पर आई आर ई सी भाग–I, 1985 संस्करण के नियम 541, 549 और 550 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुरूप अन्य रेल कर्मचारियों को देय छुट्टी नकदीकरण के उद्देश्य के साथ ही इन्हें भी इस उद्देश्य हेतु देय होगी।

iii. 01 जुलाई 2008 को खाते में जमा औसत वेतन छुट्टियों को अगर स्कूल कर्मचारियों द्वारा रेलवे बोर्ड के आदेश दिनांक 06.03.2009 (RBE 46/09) के जारी होने के पूर्व उपभोग कर लिया है तो इस अवकाश को

औसत वेतन छुट्टी के रूप में माना जायेगा।

अर्द्ध औसत वेतन पर छुट्टी (Leave on Half Average Pay) : (नियम 526)

यह छुट्टी रेलवे स्कूलों के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को देय है। ये छुट्टियाँ प्रत्येक आधे वर्ष में 01 जनवरी और 01 जुलाई को 10 दिन की दो किश्तों में अग्रिम रूप में जमा की जायेगी। अन्य अवकाश के साथ जोड़कर या बिना उसके, अर्द्ध औसत वेतन अवकाश एक समय में अधिकतम 24 माह का लिया जा सकता है। यह छुट्टी चिकित्सक प्रमाण–पत्र पर या निजी कार्य के लिये मंजूर की जा सकेगी, छुट्टी खाते में इसके समग्रहण (Accumlation) की मात्रा असीमित है। (RBE 207/92 & 57/11)

यदि कोई रेल सेवक अनुपस्थित या निलम्बित रहता है और वह अवधि ड्यूटी नहीं (बिना वेतन) माना जाता है तो उक्त दिनों में 1/18 दिन अर्द्ध वेतन छुट्टी अगले छःमाह में दिये जाने वाली से कम की जायेगी।(RBE 41/88)

संपरिवर्तित छुट्टी (Commutaed Leave) : (नियम 527)

संपरिवर्तित छुट्टी, जो कि रेल कर्मचारी को बकाया अर्द्ध औसत वेतन छुट्टी के आधे से अधिक नहीं होगी, चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर देय होगी, यदि छुट्टी मंजूर करने के लिये सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो कि छुट्टी की समाप्ति पर रेल सेवक के कर्त्तव्य पर लौटने की युक्त सम्भावना है। कर्मचारी द्वारा ली गई छुट्टी की दुगुनी दर से यह अर्द्ध औसत वेतन छुट्टी के जमा शेष के विरूद्ध नामे ((Debit) की जायेगी। पूरे सेवा काल में संपरिवर्तित छुट्टी उपयोग करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं हैं लेकिन समस्त सेवा के दौरान अधिक से अधिक 180 दिन की छुट्टी का संपरिवर्तन वहाँ अनुज्ञात किया जा सकता है जहाँ ऐसी छुट्टी का उपयोग अनुमोदित पाठ्यक्रम के लिये किया हो, जो लोकहित में हो।

जहाँ संपरिवर्तित छुट्टी मंजूर की गई है, और कर्मचारी कर्त्तव्य पर आये बिना सेवानिवृत हो जाता है या त्यागपत्र दे देता है तो संपरिवर्तित छुट्टी अर्द्ध वेतन छुट्टी के रूप में मानी जायेगी और संपरिवर्तित छुट्टी तथा अर्द्ध वेतन छुट्टी के बीच की अंतर की राशि वसूल की जायेगी। किन्तु सेवा कर्मचारी के खराब स्वास्थ्य के कारण छोड़ी जाये तो ऐसा कोई अवकाश वेतन वसूल नहीं किया जायेगा।

संपरिवर्तित छुट्टी, रेल सेवक के निवेदन पर तब भी मंजूर की जा सकती है जब औसत वेतन छुट्टी उसके खाते में जमा हो।

पति /पत्नी के नियोक्ता द्वारा तथा अनुमोदित अस्पताल /चिकित्सक द्वारा जारी सर्टिफिकेट के आधार पर चिकित्सा आधार पर अवकाश (संपरिवर्तित अवकश) स्वीकार किया जा सकता हैं। (RBE 100/15)

अनार्जित छुट्टी (Leave Not Due) : (नियम 528)

अनार्जित छुट्टी स्थाई रेल सेवक को मंजूर की जा सकती है। अनार्जित छुट्टी अर्द्ध वेतन छुट्टी तक, जो वह सम्भवतया तत्पश्चात अर्जित करें, तक परिसीमित होगी।

अनर्जित छुट्टी समस्त सेवा के दौरान 360 दिन तक परिसीमित होगी, जिसमें एक समय में अधिक से अधिक 90 दिन तथा कुल 180 दिन की छुट्टी चिकित्सीय प्रमाण–पत्र के आधार पर देय होगी।

अनार्जित छुट्टी रेल सेवक द्वारा उसके पश्चात अर्जित की जाने वाली अर्द्ध वेतन छुट्टी के नामे डाली जायेगी। जहाँ कोई रेल सेवक जिसे अनार्जित छुट्टी मंजूर की गई है, ड्यूटी पर लौटे बिना सेवा से त्यागपत्र देता है अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृति लेता है तो त्यागपत्र या सेवानिवृति उस तारीख से प्रभावी होगी जब से ऐसी छुट्टी प्रारम्भ हुई थी तथा छुट्टी का वेतन वसूल किया जायेगा, लेकिन यदि कर्मचारी को खराब स्वास्थ्य की वजह से रेल सेवा में आगे नहीं रख सकने के कारण अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई हो तो उससे कोई छुट्टी का वेतन वसूल नहीं किया जायेगा। (RBE 30/89)

अनार्जित छुट्टी उस अस्थाई रेल सेवकों को भी मंजूर की जा सकती है जिसने कम से कम एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तथा वह क्षय, केंसर, कुष्ठ रोग से ग्रसित हो तो उसे पूरे सेवाकाल में 360 दिन के लिये यह छुट्टी मंजूर की जा सकती है। (नियम 529)

असाधारण छुट्टी : (नियम 530)

i. किसी रेल सेवक को असाधारण छुट्टी मंजूर की जा सकती हैः–
   क. जब कोई अन्य छुट्टी अनुज्ञेय नहीं हो।
   ख. जब अन्य छुट्टी अनुज्ञेय है, किन्तु सरकारी सेवक लिखित रूप से असाधारण छुट्टी के लिये आवेदन करें।
ii. जब तक कि राष्ट्रपति मामले की असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये अवधारित न करें, किसी अस्थायी रेल सेवक को एक बार में इस नियम के अधीन 03 महीने से लेकर 24 माह (परिस्थितियों /बिमारी के अनुसार) से अधिक असाधारण छुट्टी मंजूर नहीं की जा सकती है।

iii. असाधारण छुट्टी की दो अवधियों के बीच किसी अन्य प्रकार की छुट्टी है, तो दोनों अवधियों को असाधारण छुट्टी की एक निरन्तर अवधि समझा जायेगा।

iv. स्थायी रेल सेवकों के मामले में छुट्टी की कोई परिसीमा नहीं है, किन्तु एक बार में सभी प्रकार की छुट्टियाँ मिलाकर 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भारतीय रेल की चिकित्सा सेवा के प्रशिक्षुओं को अध्ययन के लिये असाधारण छुट्टी की स्वीकृति दी जा सकती है। [RB LNo. 2001 /E /GR /11 /7 /13 dt. 26.03.2004]

परिवीक्षाधीन रेल सेवकों को छुट्टियाँ (समूह ''ए'' रेल सेवा के प्रशिक्षुओं सहित) : (नियम 531)

परिवीक्षाधीन रेल सेवक इन नियमों में उसी प्रकार छुट्टी का हकदार होगा, मानो कि वह अपना पद परिवीक्षाधीन के रूप में नहीं बल्कि मूल रूप में धारण करता हो। यदि कोई रेल सेवक प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त होता है तो वह इन नियमों के अन्तर्गत उसकी स्थायी /अस्थायी पद पर स्थाई /अस्थायी नियुक्ति के अनुरूप छुट्टी का हकदार होगा, किन्तु जहाँ ऐसा कर्मचारी इस प्रकार की नियुक्ति से पूर्व स्थाायी आधार पर नियुक्त हो तो वह इन नियमों के अन्तर्गत स्थायी रेल सेवक की भाँति छुट्टियों के लिये हकदार होगा।

विशेष वर्ग रेल शिक्षुओं को छुट्टी (Leave to special class Rly Apprentices) : (नियम 532)

पूर्ण वृत्तिका पर एक वर्ष में 01 माह की छुट्टी मंजूर की जाती है। एक से अधिक मास की छुट्टी खराब स्वास्थ्य के आधार पर किन्तु बिना वृत्तिका के मंजूर की जायेगी।

प्रशिक्षु मैकेनिक को छुट्टियाँ (Leave to Apprentice Machanic) : (नियम 533)

रेलवे कारखाना के प्रशिक्षु मैकेनिक, सहायक स्टेशन मास्टर, वाणिज्य कर्मचारियों, रेल पथ निरीक्षकों, कार्य निरीक्षकों, गाड़ी परीक्षकों इत्यादि को पूर्ण वृत्तिका पर 16 दिन तथा चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर 20 दिन की छुट्टी अर्द्ध वृत्तिका पर मंजूर की जा सकती है।

ट्रेड अप्रेण्टिस को छुट्टी : (नियम 534)

ट्रेड अप्रेण्टिसशिप के किसी भी वर्ष में पूर्ण वृत्तिका पर 12 दिन तथा चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर 15 दिन की छुट्टी अर्द्ध वृत्तिका पर मंजूर की जा सकती है।

अन्य अप्रेन्टिस को छुट्टियाँ : (नियम 535)

विभागों के समूह ''ग'' के प्रशिक्षु जो प्रशिक्षण के अधीन हो तथा जिन्हें प्रशिक्षण के बाद पर्यवेक्षक के पद पर तैनात किया जाता है जैसेः– प्रशिक्षु गाड़ी परीक्षक, प्रशिक्षु रेल पथ निरीक्षक, भण्डार विभाग के प्रशिक्षु इत्यादि को नियम 533 में उल्लिखित प्रशिक्षु मैकेनिक के अनुसार ही छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। प्रशिक्षु जो प्रशिक्षण के उपरान्त कुशल कामगार के रूप में नियुक्त किये जाते हैं, तो उन्हें नियम 534 में उल्लिखित ट्रेड शिक्षु की भाँति ही छुट्टी स्वीकृत की जायेगी।

अप्रेण्टिस को अन्य छुट्टियाँ : (नियम 536)

विशेष वर्ग अप्रेण्टिस को छोड़कर अन्य अप्रेण्टिस को अस्थायी रेल सेवकों पर लागू नियमों के अधीन महाप्रबन्धक द्वारा बिना वृत्तिका असाधारण छुट्टियाँ स्वीकृत की जा सकती है। महाप्रबन्धक अपनी शक्तियाँ को इन नियमों के अधीन विभागाध्यक्ष अथवा ऐसे अधिकारी को जो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से नीचे नहीं हो, को पुनः प्रत्यायोजित (Re-delegate) कर सकता है।

अप्रेण्टिस को छुट्टी की मंजूरी के लिये सामान्य शर्तें : (नियम 537)

i. नियम 531 से 536 तक सभी मामलों में छुट्टी गैर–संचयी /असंचयी रहेगी तथा यदि छुट्टियों से प्रशिक्षण में बाधा आती है, तो कोई छुट्टी मंजूर नहीं की जायेगी।

ii. आमेलन (Absorption) के बाद की बिना व्यवधान नियुक्ति तथा अप्रेण्टिस /प्रशिक्षु अवधि को सेवा माने जाने की स्थिति में छुट्टियों की पुनःगणना सामान्य नियमों की प्रक्रिया के अधीन की जायेगी।

सेवानिवृत्ति के बाद पुनः रोजगार पर लगाये गये व्यक्तियों को छुट्टी : (नियम 538)

i. किसी व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनः रोजगार पर लगाने के मामले में इन नियमों में दी गई व्यवस्था को इस प्रकार लागू किया जायेगा, कि उसने पुनः रोजगार पर लगाने की तिथि को रेल सेवा में पहली बार प्रवेश किया हो।

ii. क. कोई रेल सेवक जिसने क्षतिपूर्ति अथवा अवैद्य सेवा अथवा उपादान के कारण लोक सेवा छोड़ दी हो, उसे पुनः नियोजित किये जाने पर यदि उसके उपादान की धनवापसी या उसकी सम्पूर्ण पेंशन कुछ समय के लिये रोक ली जाती है जिसके कारण उसकी पिछली सेवा से वह पेंशन योग्य होकर अंतिम रूप से सेवानिवृत होता हो तो पुनः रोजगार पर लगाने वाला प्राधिकारी स्वविवेक से उसकी पिछली सेवाओं को छुट्टी के रूप में गिनने का निर्णय ले सकता है।

ख. किसी रेल सेवक को, जिसे लोक सेवा से पदच्युत या निष्कासित किया गया हो, किन्तु अपील या

पुनरीक्षण के कारण पुनः बहाल कर किया गया हो, छुट्टी के लिये उसकी पिछली सेवा गणना के योग्य होगी।

कार्यशाला कर्मचारियों को अवकाश : (नियम 539)

कार्यशाला कर्मचारियों को आधे दिन का औसत वेतन (बकाया होने पर) /बिना वेतन अवकाश सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, जो अधिकतम 06 अवसरों तक एक वर्ष में देय होगा।

सेवानिवृत्ति की छुट्टी : (नियम 540)

यदि रेल सेवक अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्ति के समय औसत वेतन छुट्टी को भुगना नहीं चाहता है, तो सक्षम प्राधिकारी उसे सेवानिवृत्ति से पूर्व अधिक से अधिक 180 दिन तक की यथाशोध्य औसत वेतन छुट्टी तथा यथाशोध्य अर्द्ध वेतन छुट्टी लेने की अनुमति इस शर्त पर दे सकता है कि ऐसी छुट्टी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्ववर्ती दिन तक और उस दिन की सम्मिलित करते हुये विस्तारित होगी, किन्तु असाधारण छुट्टी इसमें सम्मिलित नहीं होगी।

सेवा के दौरान रेलवे पास /पीटीओ के साथ औसत वेतन पर छुट्टी का नकदीकरण :

(नियम 540 ए RBE 161/08, 194/08)

किसी रेल सेवक को सेवा के दौरान पास के साथ व पीटीओ उपयोग पर भी औसत वेतन पर 10 दिन के छुट्टी नकदीकरण की निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन अनुमति होगीः–

i. कम से कम समान अवधि के लिये औसत वेतन पर छुट्टी साथ लेनी होगी लेकिन RBE No.: 104/09 द्वारा इनमें संशोधन कर दिया गया है तथा अब रेल कर्मचारी को पास /पीटीओ उपयोग लेते समय छुट्टी के दिनों की अवधि व छुट्टी की प्रकृति से कोई सम्बन्ध रखे बिना 10 दिन की औसत वेतन छुट्टी का नकदीकरण लेने की अनुमति है। (RBE No.: 104/09)

ii. छुट्टी नकदीकरण तथा ली गई छुट्टियों की अवधि को लेखे में लेने के बाद कर्मचारी के खाते में कम से कम 30 दिन की औसत वेतन छुट्टी रहनी चाहिये।

iii. इस प्रकार भुनाई गई कुल छुट्टियाँ पूरी सेवा के दौरान कुल 60 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा दो भुनाई गई सकल अवधियों के बीच कम से कम दो वर्ष का अन्तर रहना चाहिये।
आनुक्रमिक (Successive) औसत वेतन पर छुट्टी नकदीकरण के लिये दो वर्ष की अवधि की गणना हेतु दो–दो वर्ष के खण्ड (Block) बनेगें जिसमें बाहरी यात्रा (Outward Journed) के क्रम में पहला खण्ड 01.09.2008 से शुरू होकर 31.08.10 को समाप्त होगा। अगला खण्ड 01.09.2010 से शुरू होकर 31.08.2012 को समाप्त होगा तथा इसी अनुरूप आगे खण्ड बनेगें। (RBE 15/11, 141/14)

iv. छुट्टी नगदीकरण में कोई गृह किराया भत्ता (HBA) + परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।

v. भुनाई गई छुट्टियों की अवधि को नियम 550 के अधीन भुनाने योग्य छुट्टियों की मात्रा में से घटाया नहीं जायेगा।

vi. रनिंग कर्मचारियों और स्टेशन मास्टर /सहायक स्टेशन मास्टर श्रेणी के कर्मचारियों को भी पास /पीटीओ उपयोग लेते समय 10 दिन के छुट्टी नकदीकरण के उद्देश्य के लिये सामान्य रेल कर्मचारियों की भाँति सभी नियम व शर्तों को पूरा करना आवश्यक है –अर्थात् रेलवे पास लेने तथा इन श्रेणियों के लिये समान अवधि की औसत वेतन छुट्टी लेने की अवधि की औसत वेतन छुट्टी लेने की RBE No.: 196/08 के द्वारा दी गई छूट को वापस ले लिया गया है तथा इन श्रेणियों पर भी RBE No.: 104/09 में दिये गये निर्देश लागू होगें। (RBE No.: 157/09)

vii. सुविधा पास /पीटीओ का उपयोग करते समय औसत वेतन छुट्टी के नकदीकरण का दावा करने के लिये रेल कर्मचारियों को छुट्टी, जिसमें आकस्मिक छुट्टी भी शामिल है, लेना अपेक्षित है। इस प्रयोजन के लिये अवकाश (Holidays), जिसमें प्रतिबन्धित अवकाश भी शामिल है, ''छुट्टी'' की परिभाषा की परिधि में नहीं आता है। (RBE No.: 95/11)

viii. कार्य की प्रकृति को देखते हुये रेलवे बोर्ड द्वारा यह विनिश्चत किया गया है कि रनिंग कोटि के कर्मचारियों जिसमें ड्राईवर, सहायक ड्राईवर, मोटर मैन, शण्टर, गार्ड आदि तथा स्टेशन मास्टर /सहायक स्टेशन मास्टर सम्मिलित हैं, को ऐसे मामले में छुट्टी नगदीकरण की स्वीकृति दी जाये जहाँ उन्हें छुट्टी स्वीकृत नहीं की गई हैं, को ऐसे मामले में छुट्टी नगदीकरण की स्वीकृति दी जाये जहाँ उन्हें छुट्टी स्वीकृत नहीं की गई हैं लेकिन पास /पीटीओ का उपयोग किया गया हैं। (RBE No.: 61/12)

ix. सुविधा पास /पीटीओ का उपयोग करते हुये औसत वेतन छुट्टी नगदीकरण की गणना में NPA को भी

लिया जायेगा। (RBE No.: 67/12)

x. रनिंग स्टाफ को 10 दिन के अर्जित अवकाश (LAP) के नकदीकरण के प्रयोजन के लिये 30% वेतन के एलिमेण्ट को भी गणना में लिया जाना हैं। (RBE No.: 10/15)

सेवानिवृत्ति या सेवा छोड़ने की तिथि से आगे छुट्टी : (नियम 541)

i. इन नियमों में अन्यथा दिये जाने के अतिरिक्त किसी रेल सेवक को इससे आगे छुट्टी स्वीकृत नहीं की जायेगीः–
   क. उसकी सेवानिवृति की तिथि, अथवा
   ख. उसकी सेवाओं की समाप्ति की तिथि, अथवा
   ग. नियुक्ति प्राधिकारी को नोटिस देकर उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि या सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम और शर्तों के अधीन नोटिस देकर वेतन और भत्ते देकर सेवानिवृत्त किये जाने के बाद, अथवा
   घ. सेवा से उसके इस्तीफा देने की तिथि के बाद।

ii. अधिवार्षिता की आयु के बाद जब रेल सेवक की सेवायें विस्तारित अथवा पुनः नियोजन पर जारी रखी गई हो, तो उसे सेवा विस्तार या पुनः नियुक्ति की अवधि खत्म होने पर सेवा समाप्ति की तिथि को उसके खाते में अधिवार्षिता की तिथि की अर्जित अवकाश तथा पुनः नियोजन के दौरान अर्जित छुट्टियाँ जिनमें से इस अवधि के दौरान ली गई छुट्टियों को घटाकर, जो अधिकतम 300 दिन हो सकती है, के सम्बन्ध में उसे छुट्टी नकदीकरण का लाभ दिया जा सकता है।

सेवा समाप्ति पर छुट्टी : (नियम 542)

i. क. रेल सेवक जिसे सेवा से बर्खास्त या हटा दिया गया है या जिसकी सेवायें रेलवे सेवायें (राष्ट्रीय सुरक्षा को संरक्षित रखना) नियम–1954 के अन्तर्गत समाप्त कर दी गई है, उसे सेवा समाप्ति पर छुट्टी स्वीकृत नहीं की जायेगी।

   ख. प्रशिक्षु उन पर लागू नियमों द्वारा शासित होते रहेगें और सेवा समाप्ति पर उन्हें छुट्टी देय नहीं होगी। इसी प्रकार वे व्यक्ति जिनकी सेवायें वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों या अर्द्ध सरकारी संगठनों से ऐसी शर्त्तों पर उधार ली जाती है जिनमें छुट्टी वेतन योगदान का भुगतान शामिल है, उन्हें ऐसी छुट्टी स्वीकृत नहीं की जायेगी।

ii. अस्थाई रेल सेवकों को छुट्टी (सेवा समाप्ति) :
अस्थाई रेल सेवकों के मामले में सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पूर्व छंटनी या पदों को समाप्त करने पर सेवा समाप्ति पर, स्वीकृति करने वाले प्राधिकारी के विवेकानुसार, ऐसे समय बकाया और देय औसत अवकाश छुट्टियाँ स्वीकृत की जा सकती है। ऐसे मामलों में जहाँ अस्थाई रेल सेवकों की नियुक्ति शर्तों के अन्तर्गत सेवा समाप्ति का नोटिस दिया जाना आवश्यक है और रेल सेवक की नोटिस अवधि समाप्त होने से पूर्व मुक्त कर दिया जाता है तो ऐसा नोटिस या इसका बकाया भाग तथा स्वीकृत अवकाश के साथ–साथ चलेगें।

छुट्टी वेतन की निकासी : (नियम 543)

इन नियमों के अन्तर्गत देय छुट्टी वेतन की निकासी भारतीय रूपयों में की जायेगी।

एक रेल कर्मचारी को संपरिवर्तित छुट्टी पर जाता है, वह उस अवधि हेतु वह अर्जित अवकाश पर दिये जाने वाले वेतन के बराबर छुट्टी वेतन का हकदार होगा।

आधे औसत वेतन या LND पर ऊपर बताये अनुसार वेतन की आधी राशि के बराबर छुट्टी वेतन का हकदार होगा तथा असाधारण छुट्टी पर वह किसी छुट्टी वेतन का हकदार नहीं होगा। (नियम 544)

कार्यशाला स्टाफ की छुट्टी वेतन : (नियम 545)

i. कार्यशाला स्टाफ का औसत वेतन छुट्टी पर छुट्टी वेतन उस वेतन के बराबर होगा जिसे यदि रेल कर्मचारी ड्यूटी पर होता तो लेता, लेकिन इसमें छुट्टी अवधि के दौरान उसे प्राप्त किसी प्रकार की (वेतन) वृद्धि शामिल नहीं होगी।

ii. आधे औसत वेतन छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन ऊपर दिये गये उप–नियम (1) में छुट्टी वेतन के आधे के बराबर होगा और संपरिवर्तित छुट्टी पर आधे औसत वेतन छुट्टी पर देय छुट्टी वेतन का दुगुना होगा।

रनिंग स्टाफ को छुट्टी वेतन : (नियम 546)

i. स्थायी रनिंग स्टाफ के मामले में औसत वेतन छुट्टी पर छुट्टी वेतन पहले 60 दिनों के लिये मूल वेतन या

औसत वेतन, जो भी अधिक हो, के आधार पर और इसके पश्चात मूल वेतन के आधार पर होगा।

ii. अस्थायी रनिंग स्टाफ के मामले में छुट्टी वेतन 60 दिनों तक औसत वेतन के आधार पर तथा 60 दिनों के पश्चात औसत वेतन या वह वेतन जो यदि स्टाफ ड्यूटी पर रहता तो लेता, जो भी कम हो, के आधार पर होगा।

iii. आधे औसत वेतन पर छुट्टी या संपरिवर्तित अवकाश के दौरान छुट्टी वेतन की गणना नियम 545 के उपनियम (2) के आधार पर की जायेगी।

छुट्टी वेतन हेतु विशेष वेतन की गणना करना : (नियम 547)

औसत वेतन की गणना करने के लिये विभिन्न कोटियों के स्टाफ को स्वीकृत विशेष वेतन को ध्यान में रखा जायेगा।

छुट्टी वेतन अग्रिम : (नियम 548)

विदेश सेवा के रेल कर्मचारी सहित (स्थायी और अस्थायी) रेल सेवक जो न्यूनतम 30 दिनों की अवधि के लिये छुट्टी पर जा रहे हैं, उन्हें छुट्टी वेतन के बदले में एक माह तक के वेतन और भत्ते अग्रिम के रूप में स्वीकृत किये जा सकते हैं जो निम्न शर्तों के अधीन होगें:–

i. छुट्टी वेतन का अग्रिम पूर्ण रूपयों में स्वीकृत किया जायेगा।

ii. एक माह (30 दिन) से कम अवधि हेतु ली गई छुट्टी पर अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

iii. पहले माह की छुट्टी हेतु अग्रिम की राशि छुट्टी वेतन की राशि तक सीमित रखनी चाहिये जो कि आयकर, भविष्य निधि, मकान किराया, अग्रिमों के पुनर्भुगतान इत्यादि कटौतियों के पश्चात रेल सेवक को स्पष्टतः देय हो ताकि किसी तरह का वित्तीय जोखिम न हो।

iv. ली गई छुट्टियों के सम्बन्ध में छुट्टी वेतन बिल में अग्रिम पूर्णतः समायोजित किया जाना चाहिये। ऐसे मामले में जहाँ अग्रिम का पूर्णतः समायोजन नहीं किया जा सकता तो बकाया राशि की वसूली अगले वेतन या छुट्टी वेतन से की जायेगी।

v. समूह क, ख, ग और घ रेल सेवकों के मामले में अग्रिम महाप्रबन्धक द्वारा या कोई अन्य अधिकारी, जिसे विशेष रूप से शक्तियाँ सौंपी गई है, द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

vi. अस्थायी रेल कर्मचारियों को अग्रिम स्थायी रेल कर्मचारी द्वारा जमानत प्रस्तुत करने पर स्वीकृत किया जायेगा।

vii. अग्रिम की राशि उस लेखा शीर्ष में डाली जायगी जिसमें रेल सेवक का वेतन इत्यादि डाला जाता है और अग्रिम के समायोजन की निगरानी सम्बन्धित लेखा अधिकारी द्वारा की जायेगी।

सेवा के दौरान मृत्यु पर छुट्टी वेतन का नकद समतुल्य : (नियम 549)

ऐसे मामले में जब सेवाकाल के दौरान रेल सेवक की मृत्यु हो जाती है तो छुट्टी वेतन का नकद समतुल्य, जो मृत कर्मचारी प्राप्त करता यदि वह औसत वेतन पर छुट्टी पर जाता और जो उसे देय होती, वह देय होगा। छुट्टी वेतन किसी भी मामले में 300 दिन से अधिक का नहीं होगा जो उसके परिवार को वर्णित तरीके के अनुसार मृत्यु सह सेवानिवृति के पेंशन समतुल्य के कारण बिना किसी कटौती के दिया जायेगा।

सेवानिवृत्ति की तिथि को औसत वेतन पर काम में नहीं ली गई छुट्टियों के बदले में नकद भुगतानः (नियम 550)

सभी रेल कर्मचारी जो 30.09.1977 को या इसके पश्चात सेवानिवृत्त हुये हैं उन्हें सेवानिवृत्ति के समय उनके खाते में औसत वेतन पर छुट्टी हेतु छुट्टी वेतन के समतुल्य का भुगतान किया जा सकता है। अर्जित अवकाश 30.06.1997 तक अधिकतम 240 होगी जिसकी अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 300 कर दिया गया है जो 01.07.1997 से प्रभावी होगी। निपटान के समय इस राशि का एक साथ भुगतान किया जा सकता है। छुट्टी प्रदान करने वाला सक्षम अधिकारी सेवानिवृत्ति के दिन अर्जित अवकाश स्वीकृति हेतु स्वप्रेरणा से आदेश जारी करेगें। D&AR के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति और ग्रेच्युटी सहित पेंशन में कटौती के आदेश होने के मामले में भी छुट्टी स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी छुट्टी वेतन का नकद समतुल्य स्वीकृत कर सकता है। एक रेल सेवक जो सेवा छोड़ता है या त्यागपत्र देता है वह सेवा समाप्ति के दिन उसके खाते में कुल अर्जित अवकाश की आधी जिसकी अधिकतम सीमा 150 दिन है के नगद समतुल्य का हकदार है। (RBE No.: 157/97 & 29/06)

अर्जित अवकाश और आधे वेतन पर अवकाश दोनों पर छुट्टी नकदीकरण हेतु विचार किया जायेगा जिसकी अधिकतम सीमा 300 दिन होगी। अर्जित अवकाश हेतु भुगतान योग्य नकद समतुल्य अपरिवर्तित रूप से जारी रहेगा। हालांकि आधे वेतन पर अवकाश हेतु भुगतान योग्य नकद समतुल्य छुट्टी वेतन जो आधे वेतन हेतु देय है और मंहगाई भत्ते के समान होगा जिसमें पेंशन तथा अर्जित अवकाश में कमी की भरपाई हेतु भुगतान योग्य पेंशन समतुल्य के अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं की जायेगी। 01.01.2006 से 02.09.

2008 के मध्य के मामलों के सम्बन्ध में सम्बन्धित पेंशनरों से इस आशय का आवेदन प्राप्त होने पर सम्बन्धित प्रशासन मंत्रालय द्वारा लाभ देय होगा। (RBE No.: 148, 104/09 & 204/09)

प्रसूती छुट्टी (Maternity Leave) : (नियम 551)

महिला रेल कर्मचारी (इसमे प्रशिक्षु भी शामिल है) जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, को आरम्भ होने की तिथि से 180 दिनों की अवधि हेतु मातृत्व छुट्टी प्रदान की जा सकती है। (RBE No.: 154/97 & 158/08)

बच्चा गिरने /गर्भपात की स्थिति में भी महिला कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में 45 दिन की यह छुट्टी स्वीकृति की जा सकती है। जीवित बच्चों की संख्या को ध्यान में रखे बिना, मातृत्व छुट्टी चिकित्सा प्रमाण–पत्र द्वारा समर्थित होने पर प्रार्थना पर देय होगी। (RBE No.: 54/97 & 57/11)

मातृत्व छुट्टी के साथ किसी भी प्रकार की छुट्टी, 01 वर्ष तक LND 60 दिनों तक आवेदित और (संपरिवर्तित छुट्टियों सहित) बिना चिकित्सा प्रमाण–पत्र के स्वीकृत की जा सकती है। इनके अलावा मेडिकल अटेण्डेंण्ट की सिफारिश पर या बच्चे की बीमारी हेतु छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। इस प्रकार स्वीकृत की गई मातृत्व छुट्टियाँ 180 दिन तक अवकाश खाते में डेबित नहीं की जायेगी। ऐसी अवधि के दौरान कर्मचारी को ठीक छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन ले रही थी के बराबर छुट्टी वेतन दिया जायेगा। (RBE No.: 30/89, 158/08)

ऐसी अवधि के दौरान कर्मचारी को ठीक छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन ले रही थी के बराबर छुट्टी वेतन दिया जायेगा। (RBE No.: 57/11)

लेकिन प्रसूती अवकाश के लगातार में बिना चिकित्सा प्रमाण–पत्र के स्वीकृत EOL अर्हक सेवा (Qualifying Service) तथा वेतन वृद्धि हेतु गणना में नहीं ली जायेगी। (RBE 242/01, 72/14)

Surrogate Mother को प्रसूति अवकाश व संतान देखभाल अवकाश देय नहीं है।

[RB L.No. E (P&A) I-2013 /CPC /LE-3 dt. 15.07.2014 (NWR PS 66/14)]

पैतृत्व अवकाश (Peternity Leave) : (नियम 551 ए)

प्रशिक्षु सहित पुरूष रेल सेवक जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं उसे पेतृत्व अवकाश पत्नी के प्रसवकाल में 15 दिन हेतु स्वीकृत किया जा सकता है अर्थात् प्रसव के 15 दिन पूर्व से लेकर प्रसव की तिथि से 06 माह तक। और यदि इस अवधि में यह छुट्टी नहीं ली जाती है तो इसे बीती हुई (समाप्त) माना जायेगा। इस दौरान उसे छुट्टी पर जाने से पूर्व लिये जाने वाले वेतन के समान छुट्टी वेतन का भुगतान किया जायेगा। पेतृत्व छुट्टी, छुट्टी खाते में से नहीं काटी जायेगी और मातृत्व छुट्टी की तरह यह किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ समाहित की जा सकती है। सामान्यतः इसे किसी भी परिस्थिति में अस्वीकार नहीं किया जाता। पुरूष रेल सेवक को पेतृत्व छुट्टी उस स्थिति में स्वीकृत की जा सकती है, जब इस आदेश के जारी होने की तिथि अर्थात् 07.10.1997 से 180 दिन पूर्व तक उसकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया हो। पैतृत्व छुट्टी एक मुश्त ही मंजूर की जायेगी। (RBE 154/97,110/99, 249/99 & 57/11)

अस्थायी ओहदा प्राप्त पुरूष केजुअल रेल सेवक को पेतृत्व अवकाश : (नियम 551 बी)

पुरूष केजुअल रेल सेवक जिसे अस्थाई ओहदा (Temp. Status) दिया गया है और जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, उसकी पत्नी के प्रसवकाल में उसे 15 दिन की पैतृत्व छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। छुट्टी के लिये आवेदन और उसका उपयोग (कम से कम आंशिक रूप से) बच्चा पैदा होने से 135 दिन की अवधि के भीतर छुट्टी आरम्भ होनी चाहिये। पेतृत्व अवकाश बच्चा पैदा होने से पूर्व आरम्भ हो सकता है यदि बच्चा छुट्टी की अवधि के दौरान पैदा होता है। इसकी कटौती छुट्टी खाते में से नहीं की जायेगी और औसत वेतन पर केजुअल रेल कर्मचारी को देय छुट्टियों के साथ यथानुपाल समायोजित की जा सकती है, जैसा कि मातृत्व अवकाश के मामले में किया जाता है। पेतृत्व (छुट्टी), मातृत्व अवकाश की तरह एक ही बार में स्वीकृत किया जा सकता है। इन छुट्टियों के दौरान उसे कार्य दिवसों के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भुगतान किया जायेगा जो छुट्टी पर जाने से पूर्व लिये जाने वाले पारिश्रमिक से समान होगा। (RBE 110/99)

दत्तक ग्रहण छुट्टी (Child Adoption Leave) : (नियम 551 सी)

दत्तक ग्रहण माँ को बिना चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है, यह बकाया और देय छुट्टी एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये, लेकिन यह सुविधा उस दत्तक ग्रहण माँ को उपलब्ध नहीं होगी जिसके दो बच्चे हैं। अधिकतम एक वर्ष हेतु देय छुट्टी, बच्चे की आयु के अनुसार निम्नानुसार घटा दी जायगीः– (RBE 207/92)

क. यदि बच्चे की आयु एक माह से कम है तो एक वर्ष की छुट्टी दी जा सकती है।

ख. यदि बच्चा 06 माह का है तो 06 माह की छुट्टी दी जा सकती है।

ग. यदि बच्चा 09 माह या उससे बड़ा है तो 03 माह की छुट्टी दी जा सकती है।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया है कि रेलवे में ऐसी दत्तक ग्रहण माँ जिसके दो से कम जीवित बच्चें हैं उसे एक वर्ष तक का बच्चा गोद लेने पर मातृत्व छुट्टी की तरह 180 दिन की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। इस छुट्टी को अन्य किसी प्रकार की छुट्टी के साथ समायोजित किया जा सकता है। (RBE 62/06, 166/09)

संतान देखभाल अवकाश (Child Care Leave) : (नियम 551 ई RBE 158/08, 195/08 & 57/11)

महिला कर्मचारी जिसके अव्यस्का बच्चा है उसे छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकतम दो वर्ष (अर्थात् 730 दिन) की संतान देखभाल अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत की जा सकती है जो पूरे सेवाकाल में दो बच्चों तक की सार सम्भाल, चाहे पालन–पोषण या उनकी आवश्यकताओं जैसे परीक्षा, बीमारी इत्यादि की पूर्ति हेतु, मंजूर की जा सकती है। यदि संतान 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के विकलांग बच्चों के मामले में 22 वर्ष (RBE 58/10) की है तो Child Care Leave देय नहीं होगी।

यह छुट्टी टुकड़ों में ली जा सकती है। Child Care Leave की कटौती छुट्टी खाते में से नहीं होगी। बिना चिकित्सा प्रमाण–पत्र के के Leave Not Due रूप में Child Care Leave तीसरे वर्ष भी मंजूर की जा सकती है। यह किसी भी प्रकार की देय और बकाया छुट्टी के साथ समायोजित की जा सकती है।

i. Child Care Leave केवल तभी ली जा सकती है जब कर्मचारी के खाते में कोई अर्जित अवकाश बकाया न हो। (इस शर्त को RBE 144/10 के द्वारा समाप्त कर दिया गया हैं।)

ii. Child Care Leave केवल बड़े दो जीवन बच्चों हेतु देय होगी।

iii. CCLका लेखा निर्धारित प्रारूप में रेल कर्मचारी के सेवा अभिलेख के साथ रखा जायेगा। (RBE158/08 & 195/08)

CCL को अर्जित अवकाश की तरह माना जाना चाहिये तथा उसी के अनुसार स्वीकृत भी होना चाहिये। CCLकी माँग एक अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती। किसी भी परिस्थिति में कोई कर्मचारी छुट्टी स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना CCL पर नहीं जा सकता। ऐसी छुट्टी को अर्जित अवकाश की तरह माना जायेगा तथा स्वीकृत किया जायेगा। इस प्रकार छुट्टी की अवधि में पड़ने वाले शनिवार, रविवार, राजपत्रित अवकाश इत्यादि अर्जित अवकाश की तरह CCL में गिने जायेगें। (RBE100/15)

iv. CCLकी स्वीकृति हेतु LHAP को अर्जित छुट्टी की तरह नहीं माना जा सकता इसलिये एक महिला रेल सेवक को उस स्थिति में भी CCL स्वीकृत की जा सकती है, जब उसके खाते में LHAP बकाया हो। (RBE65/09 & 21/11)

v. एक अवसर पर CCL की न्युनतम संख्या 15 दिन व अधिकतम 730 दिन रहेगी। (न्यूनतम 15 दिन की शर्त को दिनांक 05.06.2014 से हटा दिया गया हैं (RBE 71/14)

vi. CCL एक वर्ष में तीन बार से अधिक CCL देय नहीं होगी।

vii. बच्चों को गोद लेने वाली माताओं को भी देय हैं।

viii. CCL की अवधि में अगर रेल कर्मी की वेतन वृद्धि की तिथि पड़ती है तो यह वेतन वृद्धि अवकाश से वापस आने पर वास्तविक रूप से कार्यग्रहण की तिथि से देय होगी।

(मद संख्या (v) से (viii) हेतु रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या E(P&A)1-2009/CPC/LE-10 dt.30.09.10)

ix. इस अवधि के दौरान महिला रेल कर्मचारी को स्वीकार्य औसत वेतन छुट्टी के नगदीकरण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी अवधि के दौरान कर्मचारी को ठीक छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन ले रही थी के बराबर छुट्टी वेतन दिया जायेगा तथा किसी अन्य छुट्टियों के साथ जोड़ा जा सकता है तथा यह छुट्टी के खाते में से नहीं घटाई जायेगी। (RBE 57/11)

x. अत्यावश्यक परिस्थितियों को छोड़कर, सामान्यतः प्रोबेशन अवधि के दौरान CCL प्रदान नहीं की जायेगी। (RBE57/11)

xi. नियम 540ए के सम्बन्ध में स्वीकार्य औसत वेतन छुट्टी के नगदीकरण का लाभ CCL के दौरान नहीं लिया जा सकता। (RBE 57/11)

xii. Surrogate Mother को प्रसूति अवकाश व संतान देखभाल अवकाश देय नहीं हैं। [RB LNo. E(P&A) 1-2013/CPC/LE-3 dt. 15.07.2014 (NWR PS 66/14)]

xiii. अगर बच्चा विदेश में पढ़ रहा हैं या रेल कर्मी को बच्चे की देखभाल हेतु विदेश जाना हैं तो यह अनुमेय होगा। (RBE 100/15)

दत्तक ग्रहण की स्थिति में पैतृक छुट्टी : (नियम 51डी)

प्रशिक्षु सहित पुरूष रेल सेवक, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, उसे एक वर्ष से कम आयु के बच्चे के वैद्य दत्तक ग्रहण पर दत्तक ग्रहण की तिथि से 06 माह की अवधि में 15 दिन की पितृत्व छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। ऐसी अवधि के दौरान कर्मचारी को ठीक छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन ले रही थी के बराबर

छुट्टी वेतन दिया जायेगा तथा किसी अन्य छुट्टियों के साथ जोड़ा जा सकता है व इसे छुट्टी के खाते में से नहीं घटाई जायेगी। गोद लेने के 180 दिन के अन्दर ली जा सकती है। (RBE 166/2009 & 57/11)

विशेष निशक्तता छुट्टी (Special Disability Leave) : (नियम 552)

स्थायी या अस्थायी रेल सेवक को जानबूझ कर पहुँचाई गई चोट या राजकीय कर्त्तव्यों के निर्वहन के फलस्वरूप लगी चोट के कारण निशक्त हो जाता है, उसे यह छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। ऐसी छुट्टी चोट लगने के पश्चात तीन माह की अवधि में अशक्तता दिखने पर स्वीकृत की जा सकती है। ऐसी छुट्टी की अवधि अधिकतम 24 माह होगी। यह किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ समायोजित की जा सकती है। ऐसी छुट्टी एक से अधिक बार स्वीकृत की जा सकती है यदि समान परिस्थितियों में कर्मचारी दूसरी बार अशक्त होता है, परन्तु एक अशक्तता हेतु अधिकतम 24 माह होगें। इसे पेंशन, छुट्टी वेतन इत्यादि हेतु ड्यूटी माना जायेगा। ऐसी छुट्टी में प्रथम 120 दिन तक उसी तरह वेतन का भुगतान किया जायेगा जैसा कि अर्जित अवकाश (LAP) के दौरान किया जाता है और शेष अवधि का छुट्टी वेतन आधे वेतन पर छुट्टी के बराबर होगा। छुट्टी अवधि 120 दिन से अधिक होने की स्थिति में रेल सेवक अपने विकल्प पर अपने छुट्टी खाते से अर्द्ध वेतन अवकाश (LHAP) कटवाकर अर्जित अवकाश के बराबर वेतन ले सकता है। वे कर्मचारी जिन पर WCA 1923 लागू है, उनकी छुट्टी वेतन की देय राशि इस अधिनियम के अन्तर्गत देय क्षतिपूर्ति राशि से घटा दी जायगी।

दुर्घटना हेतु विशेष निशक्तता छुट्टी (Special Disability Leave for Accedenatinjury) : (नियम 553)

नियम 552 के प्रावधान स्थायी या अस्थायी उस रेल सेवक पर भी लागू होगें जो राजकीय ड्यूटी में दुर्घटना या सरकारी कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान हुई हो या कार्यालयीय स्थिति या विशेष प्रकार के कर्त्तव्य के निर्वहन से उपजी /पैदा हुई बिमारी और जिसका प्रभाव बीमारी बढ़ाने वाला हो या ऐसी चोट जो कर्मचारी के पद से जुड़े सामान्य जोखिम से अधिक हो।

सक्षम प्राधिकारी नियम 552 और 553 के प्रावधानों के अन्तर्गत अगवा किये गये रेल कर्मचारी को शारीरिक /मानसिक प्रताड़ना की अवधि हेतु अस्पताल छुट्टी स्वीकृत करने पर विचार कर सकता है। (RBE 134/02)

आरबीई नं. 134 /02 से लगातार रेलवे बोर्ड द्वारा यह स्पष्ट किया गया हे कि नियम 552 और 553 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जानी वाली छुट्टी अगवा कर्मचारी को होने वाली शारीरिक /मानसिक पीड़ा हेतु किये जाने वाले उपचार के लिये होगी न की उस अवधि के लिये, जिसमें वह बंधक रहा। (RBE 176/02)

अस्पताल छुट्टी (Hospital Leave) : (नियम 554)

यह छुट्टी समूह ''ग'' और ''घ'' के कर्मचरियों को केवल उस बीमारी या चोट का इलाज होने के समय स्वीकृत की जाती है, जो स्पष्टतः सरकारी दायित्वों में निहित जोखिम के कारण है। यह प्राधिकृत मेडिकल अटेण्डेण्ट का चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत की जाती है। इस छुट्टी में पहले 120 दिन हेतु औसत वेतन पर छुट्टी के बराबर छुट्टी वेतन और शेष अवधि हेतु आधे वेतन पर छुट्टी के बराबर छुट्टी वेतन देय होगा। महाप्रबन्धक द्वारा सीमारहित अस्पताल छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। इसकी कटौती छुट्टी खाते से नहीं की जाती है।

यह किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ समायोजित की जा सकती है, परन्तु समायोजन पश्चात यह 28 माह से अधिक नहीं होनी चाहिये। अस्पताल छुट्टी के दौरान मिलने वाले वेतन को Sec.4 (i) WC Act. के तहत मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि से घटा दिया जायेगा।

अस्पताल छुट्टी के दौरान 120 दिन से अधिक का छुट्टी वेतन अर्जित अवकाश के बराबर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की सिफारिश, सह लेखा अधिकारी की सहमति तथा कनिष्ट प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी की स्वीकृति पर दिया जा सकता है। लेकिन महाप्रबन्धक का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

Quarantine Leave (Rule-555) Deleted (RBE 207/92)

अध्ययन छुट्टी (Study Leave) : (नियम 556 & RBE 01/11)

यह एक बार में 12 माह और पूरे सेवाकाल में अधिकतम 24 माह तक स्वीकृत की जा सकती है जिसमें अन्य नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत समान प्रकार की अध्ययन और प्रशिक्षण छुट्टी शामिल है। अध्ययन छुट्टी को पदोन्नति, वरिष्ठता, पेंशन, वेतन वृद्धि तथा औसत वेतन अवकाश व अर्द्ध औसत वेतन अवकाश Credit करने हेतु सेवा के रूप में गिना जायेगा।

चिकित्सक : यदि मेडिसिन तथा शोध हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का अध्ययन करना हो तो, यह छुट्टी महाप्रबन्धक के व्यक्तिगत अनुमोदन पर 36 माह के लिये स्वीकृत की जा सकती है। इस आशय का एक बंध पत्र बनाया जाना चाहिये कि इस छुट्टी की समाप्ति पर वह कम से कम 05 वर्ष तक रेल सेवक के रूप में सेवायें देगा। छुट्टी के दौरान, वेतन तथा मंहगाई भत्ता देय होगा। (RBE 138/98, 157/07)

अध्ययन छुट्टी नियम के नियम–14 (परिशिष्ट–5 IREC-I & RBE 34/14) के अनुसार यदि रेल सेवक अध्ययन छुट्टी की अवधि के पश्चात ड्यूटी पर लौटे बिना या ऐसी ड्यूटी पर लौटने से तीन वर्ष की अवधि के भीतर सेवा से त्यागपत्र दे देता है या अन्यथा सेवा छोड़ देता है या पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कर पाता है व नियम–4 के उपनियम (5) के अन्तर्गत वाँछित प्रमाण–पत्र (Certificate) नहीं दे पाता है तो ऐसे रेल सेवक द्वारा उपयोग की गई अध्ययन छुट्टी ऐसी नियमित छुट्टी में संपरिवर्तित कर दी जायेगी जो अध्ययन छुट्टी के प्रारम्भ होने की तिथि को रेल सेवक के खाते में जमा हो। यदि अध्ययन छुट्टी के चालू रहते हुये कोई नियमित छुट्टी ली जाती है तो उसका इस प्रायोजन के लिये उपयुक्त रूप से समायोजन किया जायेगा और अध्ययन छुट्टी के शेष भाग को, यदि कोई है, जिसे इस प्रकार संपरिवर्तित नहीं किया जा सकता, असाधारण छुट्टी मान लिया जायेगा तथा असाधारण छुट्टी की ऐसी अवधि को समापन भुगतान के उद्देश्य से अर्हक सेवा (Qualifying Service) के रूप में नहीं माना जायेगा। (RBE 33/11 & 06/12)

निशक्तता रेल कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक छुट्टी देना :

सामान्य कर्मचारियों को देय 08 आकस्मिक छुट्टियों की बजाय निशक्त कर्मचारियों को 12 आकस्मिक छुट्टियाँ उपलबध होगी। 04 दिन की अतिरिक्त छुट्टियों का लाभ एक कैलेण्डर वर्ष में विशेष आकस्मिक छुट्टी के रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिये। (RBE 201/08)

कार्यग्रहण अवधि (Joining Time) : (नियम 1101 से 1115 IREC-I)

जनहित में रेल सेवक के स्थानान्तरण पर यह स्वीकृत की जायेगी। (नियम 1101)

180 दिन से कम समय हेतु अस्थाई स्थानान्तरण के मामले में यह देय नहीं होगी। (नियम 1102)

स्थानान्तरण /दौरा के मामले में वास्तविक आवागमन समय की स्वीकृति दी जायेगी। यदि पिछले पद का कार्यभार पूर्वान्ह में छोड़ा गया है तो कार्यग्रहण अवधि उसी तिथि से आरम्भ होगी और यदि अपरान्ह में छोड़ा गया है तो अगली तिथि से आरम्भ होगी। (नियम 1103, 1104 और 1105)

सभी मामलों में कार्यग्रहण अवधि की गणना पुराने मुख्यालय से की जायेगी जिसमें जहाँ कर्मचारी अपने स्थानान्तरण आदेश प्राप्त करता है या पुराना पदभार सौंपता है वह स्थान भी शामिल है। (नियम 1106)

उसी स्टेशन में नया पदभार ग्रहण करने के लिये रेल सेवक को एक दिन से अधिक की कार्यभार ग्रहण अवधि स्वीकृत नहीं की जायेगी या जिसमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर आवास परिवर्तन शामिल न हो। समान स्टेशन की व्याख्या उस स्थान की नगरपालिका या निगम के अधिसूचित कार्य क्षैत्र में पड़ने वाले क्षेत्र से की जायेगी जिसमें उपनगरीय अधिसूचित क्षेत्र शामिल है। (नियम 1107)

एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानान्तरण और जिसमें आवास परिवर्तन भी शामिल है, के मामले में नीचे दी गई अनुसूची में बताये अनुसार सीधे मार्ग से पुराने मुख्यालय से नये मुख्यालय के मध्य दूरी के सन्दर्भ में कार्यग्रहण अवधि स्वीकृत की जायेगी। जब यात्रा समय के पश्चात राजकीय अवकाश पड़ता है तो सामान्य कार्यग्रहण अवधि को बढ़ाया हुआ माना जायेगा। (नियम 1108)

1000 किलोमीटर तक	: 10 दिन
1000 किलोमीटर से अधिक परन्तु 2000 से कम किलोमीटर तक	: 12 दिन
2000 किलोमीटर से अधिक पर	: 15 दिन

(हवाई यात्रा के मामले में अधिकतम 12 दिन)

कार्यग्रहण अवधि में ऊपर दी गई सीमा से अधिक बढ़ोतरी हेतु 30 दिन की अधिकतम सीमा विभागाध्यक्ष द्वारा तथा मण्डल पर मण्डल रेल प्रबन्धक द्वारा और 30 दिन से अधिक अवधि हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है। (नियम 1109)

उपयोग में नहीं लिये गये कार्यग्रहण समय को छुट्टी खाते में डालनाः– (नियम 1110 & RBE 55/13)

जब एक रेल सेवक कार्यग्रहण अवधि को पूर्णतया उपयोग किये बिना नये पद का कार्यभार ग्रहण करता है तो इन नियमों के अन्तर्गत देय कार्यग्रहण अवधि के दिन जो अधिकतम 15 होगें, उनमें से उपयोग में लिये गये दिनों की संख्या घटा कर शेष कर्मचारी के छुट्टी खाते में अर्जित अवकाश के रूप में डाले जायेगें। यह छुट्टी खाते में अर्जित अवकाश के संग्रह की अधिकतम सीमा के अधीन होगें।

कार्यभार ग्रहण करने की अवधि आकस्मिक अवकाश के अलावा किसी अवकाश और /या किसी प्रकार की लगातार छुट्टी के साथ समायोजित की जा सकती है। (नियम 1110 & RBE 55/13)

यदि एक रेल सेवक को स्थानान्तरण पर यात्रा के दौरान ऐसा निर्देश प्राप्त होता है कि आरम्भिक स्थानान्तरण आदेश में निर्देशित स्थान की बजाय उसे अन्यत्र जाना है तो संशोधित आदेश प्राप्त होने की तिथि तक पहले से उपयोग की जा चुकी कार्यभार ग्रहण अवधि तथा संशोधित आदेश प्राप्त होने की तिथि के अगले दिन से नई कार्यभार ग्रहण अवधि का वह हकदार होगा। ऐसे मामलों में नई कार्यभार ग्रहण अवधि की गणना उस स्थान से

की जायेगी जहाँ उसे संशोधित आदेश प्राप्त होते हैं, मानों उसे उसी स्थान से स्थानान्तरित किया गया हो। (नियम 1112)

रेल सेवक कार्यग्रहण अवधि के दौरान ड्यूटी पर माना जायेगा और कार्यग्रहण अवधि के दौरान पिछले पद का कार्यभार छोड़ने से पूर्व लिये जाने वाले वेतन के बराबर वेतन का हकदार होगा। वह कार्यग्रहण अवधि हेतु उचित यात्री महंगाई भत्ता, (यदि कोई है) पिछले स्टेशन जहाँ से स्थानान्तरित हुआ है वहाँ लागू CCL, HRA का हकदार होगा, परन्तु यात्रा साधन भत्ता या स्थाई यात्रा भत्ता का हकदार नहीं होगा। (नियम 1113)

परन्तु ऐसे अस्थायी कर्मचारी जिनकी नियमित सेवा तीन वर्ष से कम हैं वे कार्यग्रहण अवधि (Joining Time) के तो पात्र हैं लेकिन उन्हें कार्यग्रहण अवधि वेतन देय नहीं होगा।

रेलवे से बाहर प्रतिनियुक्ति पर : जब एक रेल सेवक जिस पर ये नियम लागू होते हैं, उसका स्थानान्तरण केन्द्र सरकार /रक्षा सेवा या ऐसे संगठन जिसके कार्यग्रहण अवधि के दिनों से सम्बन्धित अलग नियम है तो उस सरकार /संगठन के अन्तर्गत पद ग्रहण करने की कार्यग्रहण अवधि की यात्रा और वापसी उन्हीं नियमों द्वारा शासित होगी, यदि लेने और देने वाले प्राधिकारियों की आपसी सहमति द्वारा प्रतिनियुक्ति /विदेश सेवा के अलग से स्पष्ट नहीं दिये गये हैं। (नियम 1114)

रेलवे में प्रतिनियुक्ति पर :

केन्द्र सरकार के कर्मचारी, समस्त सेनाओं और जिन्हें रक्षा सेवा लेखा से भुगतान किया जाता है तथा राज्य सरकार या किसी अन्य संगठन के कर्मचारी जिनकी रेल सेवाओं तथा रेलवे के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा के आधार पर नियुक्ति होती है वे रेलवे में पदभार ग्रहण करने हेतु कार्यग्रहण अवधि तथा वापसी यात्रा हेतु इन नियमों के आधार पर शासित होगें, यदि लेने और देने वाले प्राधिकरणों में आपसी सहमति द्वारा प्रतिनियुक्ति /विदेश सेवा के सम्बन्ध मं अलग से स्पष्ट प्रावधान नहीं दिये गये हैं। (नियम 1115)

तकनीकि त्यागपत्र (Technical Resignation) : प्रतियोगी परीक्षा /साक्षात्कार के परिणाम स्वरूप केन्द्र सरकार के अधीन स्थायी पद पर नियुक्ति हेतु केन्द्रीय कर्मचारी व स्थायी राज्य सरकार कर्मचारी कार्यग्रहण अवधि (Joining Time) के पात्र होगें। (RBE 55/13)

रेल सेवकों को आकस्मिक छुट्टी :

आकस्मिक अवकाश सभी समूहों (अर्थात् क, ख, ग, घ) के रेल कर्मचारियों को देय है और यह अचानक /अप्रत्याशित जरूरतों /आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये स्वीकृत किया जाता है। आकस्मिक अवकाश चूँकि छुट्टी के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है तथा न ही यह रेल सेवकों पर लागू छुट्टी नियमों के अन्तर्गत किसी नियम के अधीन है इसलिये आकस्मिक अवकाश पर जाने वाला रेल कर्मचारी तकनीकी रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जायेगा और उसका वेतन नहीं रोका जायेगा। आकस्मिक अवकश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ समायोजित नहीं किया जा सकता।

फिर भी, निम्न के सम्बन्ध में नियमों से बचने के कारण के रूप में आकस्मिक अवकाश नहीं दिया जायेः–

क. वेतन और भत्तों की गणना की तिथि।

ख. कार्यालय में परिवर्तन।

ग. छुट्टी का आरम्भ तथा समाप्ति, तथा

घ. ड्यूटी पर वापसी। [Rule 236 & 507 of IREC-I App. XXXI (IV) (2) of IREC (1974) & RBE No. 17/91]

एक कलेण्डर वर्ष में विभिन्न श्रेणियों के रेल सेवकों को कुल देय आकस्मिक अवकाश निम्नानुसार हैः–

1.	i.	08 दिन	उन सभी रेल सेवकों को जो सभी राजपत्रित अवकाशों या कार्यशाला में सवैतनिक अवकाशों का उपयोग कर सकते है।	
	ii.	08 दिन	क	कार्यशाला स्टॉफ
			ख	कार्यशाला में रेल सेवक जो कार्यशाला स्टॉफ नामक निबन्धन के अन्तर्गत नहीं आते तथा मुद्रण प्रेस और स्टोर डिपो के रेल सेवक जो वर्ष में 15 सवैतनिक अवकाश प्राप्त कर रहे हैं।
	iii.	08 दिन	DMO तथा ADMOs	
	iv.	08 दिन	कार्यशाला में प्रशिक्षणरत्त प्रशिक्षु खलासी तथा अन्य प्रशिक्षु जो प्रशिक्षु अधिनियम द्वारा शासित नहीं है, कार्यशाला और मुद्रण प्रेस से जुड़े प्रशिक्षु मेकेनिक 1961 जो एक वर्ष में 15 सवैतनिक अवकाश प्राप्त कर रहे हैं।	
	v.	08 दिन	ट्रेड प्रशिक्षु जो प्रशिक्षु अधिनियम 1961 से शासित है तथा ऐसे संस्थानों में कार्य कर रहे हैं जहाँ उचित छुट्टी नियम अस्तित्व में नहीं है या कामगारों को एक वर्ष में कुल`य विभिन्न छुट्टियों की संख्या 37 दिन से कम है। [प्रशिक्षुता नियिम 1962 का नियम 9 (i) (a)]	

2.		10 दिन	वे सभी रेल सेवक जिनकों अपनी कार्य की प्रकृति के कारण राजपत्रित अवकाशों के उपयोग की इजाजत नहीं दी जाती या कुछेक राजपत्रित अवकाशों के उपयोग की इजाजत दी जाती है
3.		10 दिन	कार्यशाला स्टॉफ के अलावा आर्टीजन स्टॉफ, बशर्ते वे आकस्मिक अवकाशों को सवैतनिक अवकाशों में बदलने के Colective विकल्प के अन्तर्गत नहीं आते है।
4.		10 दिन	केजुअल लेबर जिन्होंने अस्थाई ओहदा प्राप्त कर लिया है तथा जिन्हें रेगुलर लाइन स्टॉफ की तरह 03 राष्ट्रीय अवकाशों के उपयोग की इजाजत दी जाती है।
5.		10 दिन	रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E (G) 83 AL 12/8 dt. 23.07.1984 के पैरा 2 (ii) में पैरा वर्णित पूर्ती सीमान्त रेलवे के रेल सेवक। (RBE 44/1998 & 70/2004)

नोटः– एक कलेण्डर वर्ष में विशेष आकस्मिक छुट्टी के रूप में 04 दिनों का अतिरिक्त लाभ निशक्त रेल कर्मचारियों को कर्मचारी निशक्तता से जुड़ी विशिष्ठ आवश्यकताओं हेतु देय होगा। (RBE 201/08)